

मध्यप्रदेश शासन
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, भोपाल

क्रमांक/डी-15/44/2017/14-3
प्रति,

भोपाल, दिनांक 05 फरवरी, 2018

समस्त कलेक्टरों,
मध्यप्रदेश।

विषय:- "खरीफ 2017 के लिए भावांतर भुगतान योजना" अंतर्गत जनवरी 2018 हेतु मक्का की मॉडल रेट के संबंध में ।

संदर्भ:- विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 06 सितम्बर, 2017 एवं 09 नवम्बर, 2017.

---000---

राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत अधिसूचित मक्का फसल के लिये ऐसे समस्त पंजीकृत किसान, जिनके द्वारा अधिसूचित मण्डियों में माह जनवरी, 2018 में विक्रय किया गया है, उन्हें योजना प्रावधान अनुसार पात्रतानुसार भावांतर का भुगतान किया जावे।

2. योजनांतर्गत नियत प्रक्रिया एवं प्रावधानों के आधार पर गठित की गई उप समिति की अनुशंसा के क्रम में दिनांक 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2018 की अवधि के लिए मक्का की औसत मॉडल (wholesale) रेट रुपये 1,120 प्रति क्विंटल घोषित किए जाते हैं ।

3. एगमार्केट पोर्टल पर औसत मॉडल (wholesale) विक्रय दरों का भावांतर की गणना तथा भुगतान के लिए किए जाने हेतु नियत उप समिति द्वारा विक्रय अवधि समाप्त होने के तुरन्त उपरान्त उक्त पोर्टल पर दर्ज आंकड़ों का उपयोग गणना में किया गया ।

4. उपरोक्त औसत मॉडल (wholesale) विक्रय दरों के अनुसार भावांतर भुगतान योजना के अंतर्गत 01 जनवरी, 2018 से 31 जनवरी, 2018 तक अधिसूचित मंडी प्रांगण में विक्रय करने वाले पंजीकृत किसानों को योजना के प्रावधानों अनुसार गणना कर देय योग्य राशि की जानकारी उनके मोबाईल पर एसएमएस के माध्यम से भेजने की व्यवस्था जिला

प्रशासन द्वारा सुनिश्चित की जावे। उक्त अवधि में लाभान्वित पात्र किसानों के बैंक खातों में राशि योजना प्रावधान अनुसार एवं जिला स्तरीय कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के परीक्षणोपरान्त एवं पात्रतानुसार भावांतर की देय राशि जमा कराई जावे। भावांतर भुगतान योजना अंतर्गत देय राशि की गणना एवं भुगतान की प्रक्रिया हेतु राज्य शासन के इस बाबत जारी किए गए परिपत्रों अनुसार ही भुगतान सुनिश्चित किया जावेगा।


(बी.एस.धुर्वे)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

भोपाल, दिनांक 05 फरवरी, 2018

पृ० क्रमांक/डी-15/44/2017/14-3

प्रतिलिपि -

1. विशेष सहायक माननीय मंत्री, किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
2. विशेष सहायक, माननीय राज्य मंत्री किसान कल्याण तथा कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
3. विशेष सहायक, मुख्य सचिव, म०प्र० शासन, भोपाल।
4. सचिव, भारत सरकार, कृषि किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि सहकारिता तथा किसान कल्याण विभाग, कृषि भवन नईदिल्ली कृषि विकास की ओर सूचनार्थ।
5. अपर मुख्य सचिव सह कृषि उत्पादन आयुक्त मंत्रालय, भोपाल।
6. अपर मुख्य सचिव म.प्र. शासन (वित्त), मंत्रालय, भोपाल।
7. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, भोपाल की ओर सूचनार्थ। ।
8. श्री अशोक वर्णवाल, प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
9. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल ।
10. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, खादय, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण, भोपाल की ओर सूचनार्थ।।
11. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, उदयानिकी एवं खादय प्रसंस्करण विभाग, भोपाल।
12. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, समन्वय, मुख्य सचिव कार्यालय, भोपाल।
13. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, जनसम्पर्क विभाग, भोपाल ।

14. प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, भोपाल।
15. प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, भोपाल।
16. कुलपति, जवाहर लाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर।
17. कुलपति, राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
18. आयुक्त सह पंजीयक, म.प्र. भोपाल।
19. आयुक्त, भू-अभिलेख, ग्वालियर, म0प्र0।
20. आयुक्त (संस्थागत वित्त) म0प्र0 भोपाल।
21. आयुक्त, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, भोपाल को उपरोक्त अनुक्रम में आवश्यक कार्यवाहियों हेतु प्रेषित ।
22. आयुक्त, जनसम्पर्क संचलानलय, भोपाल।
23. समस्त संभागायुक्त, म.प्र. को आवश्यक व्यवस्थाएँ हेतु अंकित।
24. संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, संचालनालय, भोपाल ।
25. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल ।
26. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य सहकारी विपणन संघ, भोपाल ।
27. प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य नागरिक आपूर्ति नियम, भोपाल ॥
28. प्रबंध संचालक, म0प्र0 वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन, भोपाल।
29. समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, भोपाल।
30. एस.आई.ओ. (राष्ट्रीय सूचना केन्द्र - NIC) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
31. समस्त संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास संभाग कार्यालय।
32. समस्त उप संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।
33. समस्त परियोजना संचालक, आत्मा, किसान कल्याण तथा कृषि विकास जिला कार्यालय।

की ओर सूचनार्थ प्रेषित।



उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग